न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/170 दायरा दिनांक : 09.10.2023

उनवान

1– गोपाल आत्मज श्री कंवरलाल, आयु 65 वर्ष, जाति माली, निवासी मालियों का मोहल्ला, बावडी के पास, सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
2– भूलीबाई पत्नी श्री रामकुंवार, जाति धाकड, निवासी दुर्जनपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– पन्नालाल आत्मज श्री बिरधीलाल, आयु 55 वर्ष, जाति धाकड, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
2– सियाराम आत्मज श्री बिरधीलाल, आयु 45 वर्ष, जाति धाकड, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
3– रामेश्वर आत्मज श्री बिरधीलाल, आयु 40 वर्ष, जाति धाकड, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
4– हरीशंकर आत्मज श्री बिरधीलाल, आयु 38 वर्ष, जाति धाकड, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
5– भूमि अवाप्ति अधिकारी, परवन वृहद्ध सिंचाई परियोजना झालावाड
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ललित नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री शैलेश जैन एवं आर.पी.गोयल अभिभाषक रेस्पोडेंट 1 लगायत 4 की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.05.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 394/प्रार्थना पत्र/2020 निर्णय दिनांक 23.08.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 89, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209, 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2074–2077 वाके ग्राम सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड के खाता संख्या नया 84 के खसरा नम्बर 1349/1632 की 0.6475 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थी सं. 1 गोपाल के खाते दर्ज है। यह आराजी अप्रार्थी सं. 1 गोपाल को दिनांक 19.01.1983 को राजस्व अभियान में खसरा नं. 1349 में से 4 बीघा आराजी का आवंटन किया गया था। इस प्रकार इस आराजी को दिनांक 15.02.1983 को इन्तकाल सं. 362 खोलते हुए अप्रार्थी सं. 1 के गैर खातेदारी में दर्ज की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.08.2023 से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे ग्राम सूमर, तहसील खानपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 की खतौनी सं. 84 के खसरा नम्बर 1349/1632 की 0.6475 हैक्टयर आराजी की रेकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखे तथा अप्रार्थी सं. 2 खसरा नं. 1339/1632 की आराजी के बाबत् ता–फैसला तक भूमि अवाप्ति मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 को नहीं करें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील न्याय एवं सिंचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट/वादीगण ने उपरोक्त वाद व स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलांट्स के विरुद्ध गलत, बनावटी व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है। रेस्पोंडेन्ट ने उपरोक्त कार्यवाही अपीलांट्स को ब्लेकमेल कर मुआवजा की राशि को हड़प करने के उद्देश्य से

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट का न तो कभी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1349/1632 पर कब्जा रहा है और ना ही उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध रहा है। केवल मात्र अपीलांट्स की भूमि व रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 1350 पास–पास स्थित है, जिसके मध्य में मेड है। आज भी अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1349/1632 पर काबिज काश्त चले आ रहे है और सोयाबीन की फसल खड़ी हुई है, जिसकी कटाई अपीलांट्स द्वारा करवायी जा रही है। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि पर वादी/रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है और इसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2079 से होती है जो अपील के साथ संलग्न है, जिसमें अपीलांट्स का कब्जा काश्त होना अंकित है और खरीफ की फसल के रूप में सोयाबीन होना अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित था कि वाद वर्णित भूमि न तो वादी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि है और ना ही उनका भूमि पर कब्जा काश्त है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विरूद्ध जाकर उपरोक्त आलौच्य आदेश दिनांक 23.08.2023 पारित किया है, जो हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है।

वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने इस वाद एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया है कि उनके पिता बिरधीलाल जी को खसरा नम्बर 1041/830, खसरा नम्बर 1528/787 एवं खसरा नम्बर 1129/829/830 कुल 3 किता की रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि नियमन की गई थी और कब्जा राजस्व अधिकारियों ने खसरा नम्बर 1349/1632 पर दिया था। यह कतई सम्भव नहीं है कि नियमन अलग खसरा नम्बर का हो और कब्जा दूसरे खसरा नम्बर के दे दिये जाये। यह एक बनावटी कहानी तैयार की गई है। चूंकि रेस्पोडेन्ट ने पूर्व में एक वाद यह कहते हुये कि उनके पिता बिरधीलाल जी को दिनांक 06.07 1968 को खसरा नम्बर 1041/830, खसरा नम्बर 1528/787 एवं खसरा नम्बर 1129/829/830 कुल 3 किता की रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 2192 दिनांक 26.10.2017 को खोला गया था और कब्जा खसरा नम्बर 1349 की भूमि पर दिया गया था, जिसे सिवाय चक गलत तौर पर दर्ज कर दिया गया और उक्त वाद में सहायता चाही कि रेस्पोडेन्ट को खातेदार दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा दिनांक 26.10.2004 को खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध अपील माननीय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां पेश की गई, जिसका निर्णय दिनांक 26.04.2008 को करते हुये वाद अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर पुनः प्रकरण का निर्णय करने का आदेश दिया गया। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज कर वाद का निर्णय दिनांक 14.10.2010 को करते हुये वाद खारिज फरमा दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील माननीय भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी, कोटा के यहां पेश की गई और उक्त अपील को दिनांक 28.04.2011 को खारिज फरमा दिया गया, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां अपील संख्या 5205/2017 बउनवान पन्नालाल बनाम सरकार के नाम से पेश हुई, जिसका निर्णय दिनांक 21.06.2022 को करते हुये अपील खारिज फरमा दी गई और तीनों ही न्यायालयों ने अपने निर्णय व डिक्री में यह माना कि रेस्पाडेन्ट/वादी जो उपरोक्त अपीलों में अपीलांट थे, अपने वाद को साबित करने में असफल रहे हैं तथा अपना कब्जा भी साबित करने में असफल रहे हैं तथा यह बताने में असफल रहे हैं कि जो भूमि नियमन होना जाहिर की जा रही है, उस भूमि के पुराने खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर क्या बने है ? और बंदोबस्त में कौनसी प्रविष्टि बदली है और इस प्रकार तीनों ही न्यायालयों ने यह माना कि रेस्पोडेन्ट अपना केस स्पष्ट करने में असफल रहे हैं और वाद व अपील दर अपील रेस्पोडेन्ट खारिज फरमा दी गई और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर का निर्णय अपीलांट्स द्वारा पेश किया गया, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक निर्णयों पर विचार किये बिना ही मनमर्जी पूर्वक उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित फरमा दिया। रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया वाद व उसके तथ्य पूर्व में ही वाद व अपीलों में निर्णित हो चुके थे। रेस्पोडेन्ट को जमीन का आवंटन होना नहीं माना गया और ना ही जमीन का नियमन होना माना और ना ही जमीन पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा माना गया और इस सम्बन्ध में पारित किये गये निर्णयों के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय को ताक में रखते हुय उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसके अवलोकन मात्र से आदेश में भ्रष्टाचार सुगन्ध आना प्रतीत हो रही है और अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आलोच्य आदेश रेस्पोडेन्ट/वादीगण से आर्थिक रूप से लाभान्वित व प्रभावित होकर पारित किया

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है जो किसी भी स्थिति में न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता और इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वाद वर्णित भूमि अपीलांट नम्बर 1 को राजस्व अभियान में सन् 1983 में आवंटित होने के वाद गैर खातेदारी में दर्ज की गई। तत्पश्चात् लगातार आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी में दर्ज की गई और उसके बाद अपीलाट नम्बर 1 ने बहेसियत खातेदार मालिक भूमि का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से करते हुये अपीलांट नम्बर 2 को कब्जा सम्मलाया गया। इस प्रकार भूमि पर एक मात्र रूप से अपीलांट का कब्जा काश्त है। जहां तक एडवर्स पजेशन का प्रश्न है वह इस मामले में चलने योग्य नहीं है। चूंकि रेस्पोडेन्ट का भूमि पर कब्जा ही नहीं रहा है और ना ही कब्जे से सम्बन्धित कोई दस्तावेज रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये हैं। कानून की स्थिति स्पष्ट है कि खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती और ना ही बिना कब्जे के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर आदेश दिनांक 23.08.2023 पारित किया है। रेस्पोडेन्ट/वादी ने मूल वाद में ही अवाप्ति की मुआवजा राशि अदा नहीं करने की सहायता नहीं चाही है। ऐसी स्थिति में जब मूल वाद में ही स्थायी रूप से सहायता नहीं मांगी गई है तो वह सहायता अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में कैसे प्रदान की जा सकती है ? साथ ही रेस्पोडेन्ट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने की सहायता नहीं चाही है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही मनमर्जी पूर्वक उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो अवैध व गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इसी प्रकरण में पूर्व में दिनांक 21.12.2021 को एक पक्षीय रूप से अंतरिम स्थगन आदेश प्रदान किया था जबकि उसके पूर्व अप्रार्थीगण को तलवी नोटिस जारी कर दिये गये थे और तलवी करवाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.12.2021 को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया गया जबकि यह सहायता मूल प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा में चाही नहीं गई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित फरमा दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में प्रारम्भ से ही रेस्पोडेन्ट/वादी के साथ मिली–भगत करते हुये आदेश पारित किया जाता रहा है और उक्त आलोच्य आदेश भी मिली–भगत का ही परिणाम है जो कानून के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वाद में प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 राजस्थान सरकार है, जिनके विरुद्ध बिना नोटिस दिये वाद चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट/ वादी ने नोटिस देना तो दूर धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र भी नोटिस की छूट के लिये पेश नहीं किया। इस प्रकार जब वाद ही चलने योग्य नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट/वादी न तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार है और ना ही कब्जे में है और ना ही कोई कब्जे का एक भी दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है और यही नहीं पूर्व में प्रस्तुत किया गया वाद खारिज होने के बाद प्रथम व द्वितीय अपील खारिज होने के बाद पुनः यह वाद पांचवे राउण्ड के रूप में रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय में बनावटी तथ्यों के आधार पर लेकर आया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/वादी का न तो प्रथम दृष्ट्या केस था और ना ही अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न उसके पक्ष में था और ना ही सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्ट/वादी के पक्ष में है जबकि अपीलांट वाद वर्णित भूमि का खातेदार व काबिज काश्तकार है जो जनाबंदी व खसरा गिरदावरी से प्रमाणित है तथा अपीलांट नम्बर 1 भूमि पर सन् 1983 से बहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। वर्तमान में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से भूमि का बेचान अपीलांट नम्बर 2 को करते हुये कब्जा संभला दिया है। अपीलांट नम्बर 2 द्वारा भूमि पर सोयाबीन की फसल की कटाई की जा रही है तथा उक्त भूमि में से कुछ भाग परवन वृहद सिंचाई परियोजना में अवाप्त हो चुका है, जिसकी मुआवजा राशि का चैक रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 के यहां जमा है, जो अपीलांट को प्राप्त होना है। इस प्रकार अपीलाट/प्रतिवादी का प्रथम दृष्ट्या केस था और अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में निहित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर उपरोक्त

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आलोच्य आदेश पारित किया है जो हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा पेश किया गया वाद व स्थगन प्रार्थना–पत्र धारा 11 सी०पी०सी० के पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 23.08.2023 बेक डेट में पारित किया है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 22.09.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई है। उसके पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2023 को बहस सुनने के बाद आदेश में तारीख पेशी 16.08.2023 दी गई और उसके बाद कोई तारीख पेशी अपीलांट को नहीं दी गई और लगातार अपीलांट्स के अधिवक्ता जाते रहे, परंतु दिनांक 22.09.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को उक्त आदेश होने के बारे में बताया गया तो तुरन्त ही अपीलांट्स ने नकल के लिये आवेदन दिनांक 22.09.2023 को प्रस्तुत कर उसी दिन आदेश दिनांक 23.08.2023 की नकल प्राप्त की। इस प्रकार अपील नकल प्राप्त होने की दिनांक से अवधि मध्य है। परंतु दिनांक 23.08.2023 जो आदेश पर गत दिनांक डाली गई है और आदेश की जानकारी बावजूद बार–बार करने पर भी अपीलांट्स को नहीं दी गई है इसलिये अपील पेश करने में जो देरी होना प्रकट हुआ है, वह बोनाफाईड है और क्षमा किये जाने योग्य है और देरी को कंडोन किया जाकर अपील पर गुणावगुण पर सुना जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 जैर अपील निरस्त फरमाया जावे तथा कोई भी न्यायोचित सहायता जो हो वह अपीलांट्स को प्रदान की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

अपीलांट ने आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी पेश कर निम्नलिखित दस्तावेजात को रेकार्ड में लिये जाने का निवेदन किया।

1. जमाबंदी संम्वत् 2047 से 2049
2. जमाबंदी संम्वत् 2042 से 2045
3. नामान्तकरण संख्या 362 दिनांक 15.02.1983
4. जमाबंदी सम्वत 2056 से 2057
5. जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053
6. जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073

तथा निर्णय दिनांक 21.06 2022 न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर

उपरोक्त दस्तावेजात वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित है जो अपील के निर्णय के लिये आवश्यक व सुसंगत है। दस्तावेजात में निर्णय दिनांक 21.06.2022 की जानकारी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पश्चात हुई है और उक्त दस्तावेजात को साक्ष्य में ग्राह्य कर रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत विनय है कि सलंग्न दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य कर रिकॉर्ड पर लिये जाने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व में भी रेस्पोडेन्ट के पिता बिरधीलाल जी द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड के यहां धारा 88 व 91 आर०टी० एक्ट के तहत पेश किया था, उक्त वाद को बाद सुनवाई दिनांक 26.10.2004 को एस०डी०ओ० खानपुर द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई, जिसको दिनांक 26.04.2008 को निर्णित कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु एस०डी०ओ० खानपुर भेजा गया, जहां पर बाद सुनवाई दिनांक 14.10.2010 को वाद को पुनः एस०डी०ओ०, खानपुर द्वारा खारिज फरमा दिया गया, जिसके विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय में 325/2010 पेश हुई, जिसे दिनांक 28.04.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां 5205/2017 पेश हुई. जिसका निर्णय दिनांक 21.06.2022 को करते हुये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह माना गया कि वादी/रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित करने में

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

असफल रहे है और खातेदारी के वाद को साबित करने के लिये कब्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में खारिज फरमा दी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2021(1) पेज 1, आर.आर.टी. 2018(2) पेज 1275, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 123, 2015 डी.एन.जे. (Rev.) पेज 59 एवं 2015 डी.एन.जे. (Rev.) पेज 67 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश 41 नियम 27 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट ने 6 दस्तावेज पेश किये हैं। ये दस्तावेज अपीलांट के पजेशन में पहले से ही थे। यह दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये गये और अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं करने का भी कारण भी नहीं बताया गया। क्या पहले अपीलांट को उनके बारे में ज्ञान नहीं था। लिखित बहस या जवाबदावे के समय इनका पता नहीं था अतः 41 नियम 27 मेंटेनेवल नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में Law Finder Doc ID 390605, 2020 डी.एन.जे. (Rev.) पेज 51, Law Finder Doc ID 176161, Law Finder Doc ID 356846, Law Finder Doc ID 580070, Law Finder Doc ID 498701, Law Finder Doc ID 65812, Law Finder Doc ID 498701, Law Finder Doc ID 941497 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पुनः अभिभाषक अपीलांट ने अभिभाषक रेस्पोडेट का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी का मामला पूर्व में वर्ष 2004 से 2022 तक चला। आर्डर 41 नियम 27 के तहत रेवेन्यु बोर्ड के निर्णय की प्रति पेश जो रेकार्ड पर होनी चाहिए। हम उस केस में पक्षकार नहीं थे। अतः जानकारी होते ही अपील पेश कर दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यु में रेस्पोडेंटगण द्वारा लम्बित वाद को छुपाकर पुनः दावा पेश कर दिया। वर्ष 2023 की टी.आई. में इस केस को छुपाया गया। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के ज्ञायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा दस्तावेजों पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। अपीलांट को विवादित आराजी आवंटन के पश्चात गैर खातेदारी में दर्ज हुई तथा गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज हुई। खातेदारी दर्ज करते समय आवंटन शर्तों की पालना तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित की जाती है जिसमें कब्जा प्रमुख तत्व होता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी इंतकाल संख्या 362 से विवादित आराजी अपीलांट को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज की गई, जिसमें आवंटन शर्तों की पालना का नोट लगा है। हमारी राय में रिकॉर्डेड खातेदार के साथ कब्जे की भावना निहित होती है। जब तक इसे अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.08.2023 के निर्णय में कब्जा प्रार्थी के पिता का माना है लेकिन इसका कोई आधार वर्णित नहीं किया गया । रिकॉर्डेड खातेदार के अलावा कब्जा साबित करने हेतु पुख्ता सबूतों की आवश्यकता होती है जो अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड पर नहीं है। अतः हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से रेस्पोडेंट का कब्जा माना गया है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बोर्ड आफ रेवेन्यु का निर्णय बिरधीलाल कायम मुकामान पन्नालाल आदि बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 21.06.2022 से भी प्रकट होता है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के द्वारा दिनांक 26.10.2004 को वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.04.2008 को प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने पुनः सुनवाई कर दिनांक 14.10.2010 को वाद खारिज कर दिया। तत्पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा भी दिनांक 28.04.2011 को वाद खारिज कर दिया। न्यायालय हाजा के निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत होने से राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 21.06.2022 को अपील खारिज कर दी तथा निर्णय में अभिलिखित किया कि वादी गत खसरा नम्बर 1528/787–1729/829–1041/830 कुल 4 बीघा 7 बिस्वा आराजी नियमन होना जाहिर करता है लेकिन इनके हाल नम्बर बाबत कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है।

उक्त अपील में अपीलांट पक्षकार (पार्टी) नहीं होने के कारण जानकारी होने पर रेवेन्यु बोर्ड के निर्णय दिनांक 21.06.2022 की प्रति अपीलांट द्वारा पेश की गयी। रेस्पोडेंट द्वारा रेवेन्यु बोर्ड में अपील सरकार होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छुपाकर पुनः वाद दायर करना त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है।

अतः हमारी राय में प्रस्तुत अपील में अपीलांट अपील के तथ्यों को सिद्ध करने में सफल रहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना मिलान क्षेत्रफल एवं कब्जे के साक्ष्य के रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2023 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/5/24

(ममता कुमार तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा